

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 26 / 2019

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी)लवाण जिला दौसा

बनाम

1. राजन्ती पत्नि रामकरण पुत्र रामू जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक: 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुई। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि एकीकरण संवत् 2018 में ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गै0मु0 नदी सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। जो भूमि बंदोबस्त संवत् 2041-60 में उक्त खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गै0मु0 नदी में से खसरा नम्बर 5031 रकबा 0.16 है0 बना। उक्त भूमि खसरा नम्बर 5031 रकबा 0.16 है0 भूमि आवंटन कमेटी की सिफारिश पर आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2002 के द्वारा राजन्ती पत्नि रामकरण पुत्र रामू जाति मीना निवासी लवाण को आवंटित की जाकर नामान्तरकरण संख्या 455 दिनांक 17.6.2002 के द्वारा राजन्ती पत्नि रामकरण मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। जमाबन्दी संवत् 2075 -2078 में उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गै0मु0नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 26/2019

बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा सम्वत 2018 में गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। भूमि बंदोबस्त संवत 2041-60 में उक्त खसरा नम्बर ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी में से खसरा नम्बर 5031 रकबा 0.16 है0 बना। उक्त भूमि खसरा नम्बर 5031 रकबा 0.16 है0 आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2002 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 455 दिनांक 17.6.2002 के द्वारा राजन्ती पत्नि रामकरण पुत्र रामू जाति मीना निवासी लवाण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)

अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)

अति0 जिला कलक्टर दौसा

